sures to promote co-operative farming wherever response from land-holders is good.

(d) As on 30th June, 1989 the total number of co-operative farming societies was 7280.

(e) According to information available about 13 per cent of these Societies are in profit.

Supply of rice and wheat at subsidised cost

1579. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the norms for supplying rice and wheat at subsidised rate through public distribution system; and

(b) whether Government propose to supply foodgrains at subsidised rates only to those who are below the poverty line?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The Public Distribution System is universal in nature, and does not distinguish the beneficiaries on the basis of income etc. However, under a Scheme for areas covered by Integrated Tribal Development Projects (ITDP), specially subsidised foodgrains are distributed to the population living therein.

(b) There is no such proposal at the present.

Combating economic offences by modifying Essential Commodities Acts

1580. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether Government propose to take strong measures by suitably modifying the Essential Commodities Acts, incorporating heavy punishments to hoarders, black marketeers, profiteers and those who produce and sell sub-standard goods, so as to combat effectively the economic offences and anti-social activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): The Essential Commodities Act contains comprehensive provisions for checking and punishing such malpractices. They were made more stringent with the enactment of Essential Commodities (Special Provision) Act, 1981 with a view to providing more effective deterrents against hoarding and black-marketing. There is no proposal to amend the Act.

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का स्थानान्तरित किया जाना

1581. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान को नागपुर से भोपाल और जबलपुर में स्थानान्तरित किये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में सतना में सीमेंट के कारखाने की स्थापना किया जाना

1582. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सतना में सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले में सीमेंट के विनिर्माण के लिए नयी परियोजनाएं स्थापित करने और पर्याप्त विस्तार करने के लिए कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं (ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं) किंतु, संशोधित लाइसेंसीकरण नीति के अनुसार सीमेंट उत्पादन के लिए नयी सीमेंट परियोजनाएं स्थापित करने और पर्याप्त विस्तार करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ।

विवरण

कंपनी का नाम	स्थापना स्थल	प्रस्तावित क्षमता (एल०पी०ए० में)	एकक का प्रकार
1. मै० बिरला जूट एंड इंडस्ट्रीज लि०	स्थान/कस्बा : सतना तहसील/तालुक : रघुराजन नगर जिला – सतना	12.00 (27.50)	पर्याप्त विस्तार
2. मै० डालमिया सीमेंट (भारत) लि०	स्थान/कस्बा : ग्राम जनार्दन पुर, पटरानी बोरीहार और जमुना तहसील/तालुक : रामपुर वघेलन, जिला : सतना	10.00	नया उपक्रम
3. मै० दि रेमण्ड वूलेन मिल्स लि०	स्थान/कस्बा : सगोनी तहसील/तालुक : रामपुर वघेलन, जिला : सतना	12.00 (30.00)	पर्याप्त विस्तार
4. मै० केडिया डिस्टलरीज लि०	स्थान/कस्बा : रघुराज नगर/नागोद तहसील/ तालुक में कोई अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र	14.00	नया उपक्रम
5. मै० भीलवाड़ा स्पिनर्स लि०	स्थान/कस्बा : चिरहई तहसील/तालुक अमर पाटन, जिला : सतना	10.00	नया उपक्रम
6. मै० लार्सेन एंड टुब्रो लि०	स्थान/कस्बा : रामस्थान, जामोदी ग्रामों के निकट तहसील/तालुक : रघुराज नगर जिला : सतना	17.00	नया उपक्रम